

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2059

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर और पर्यटक पार्क की स्थापना**

**2059 डा. सिकंदर कुमार:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर और पर्यटक पार्क स्थापित करने पर विचार किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले ऐसे क्लस्टरों और पार्कों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुधार लाने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री**

**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय, स्वदेश दर्शन नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके द्वारा किए गए पर्यटन विकास संबंधी प्रयासों को संपूरित करता है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में 5287.90 करोड़ रुपये की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य में 68.34 करोड़ रुपये की एक परियोजना शामिल है। देश में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को ग्रामीण परिपथ सहित विभिन्न चिह्नित विषयगत परिपथों के बीच वितरित किया जाता है। उक्त योजना के ग्रामीण परिपथ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदारियुक्त गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के तौर पर नया रूप दिया है और हिमाचल प्रदेश में 'पोंग बांध' को

गंतव्य के रूप में चिह्नित किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' (सीबीडीडी) नामक उप-योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में संस्कृति एवं विरासत गंतव्य श्रेणी के अंतर्गत 'काजा' को और जीवंत ग्राम कार्यक्रम गंतव्य श्रेणी के अंतर्गत 'रक्छम, छितकुल' को चिह्नित किया है।

सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के हिस्से के रूप में स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होम-स्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी है। उक्त पहल में प्रति इकाई 5 लाख रुपये (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये (नवीकरण के लिए) और ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता के साथ 1000 होमस्टे का विकास शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने इस अंतर्निहित संभाव्यता का लाभ उठाने और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशील, जिम्मेदारीयुक्त और स्थायी पर्यटन वातावरण विकसित करने के दृष्टिकोण से भारत में ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां और रोडमैप तैयार किए हैं।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

डा. सिकंदर कुमार द्वारा हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर और पर्यटक पार्क की स्थापना के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 2059 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना की ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	बिहार	(2017-18)	गांधी परिपथ: भित्तिहरवा- चंद्रहिया-तुरकौलिया का विकास	44.27
2.	केरल	(2018-19)	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35
			कुल	101.62

\*\*\*\*\*